न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–67/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश अलवर ।
2. तहसीलदार थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट/प्रतिवादी

बनाम

1. जगन्नाथ पुत्र स्व0 हरदेवा,
2. बाबूलाल पुत्र स्व0 मंगल पौत्र स्व0 हरदेवा,
3. औमप्रकाश पुत्र स्व0 मंगल पौत्र स्व0 हरदेवा,
4. छीतर पुत्र स्व0 सुन्दर पौत्र स्व0 झूंथा जाति बांगड़ा ब्राह्मण निवासी राजपुर जागीर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पो0/वादी

उपस्थित :–
1. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–29.06.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट का इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 हाल 311 रकबा 0.09 है0 जिसका साबिक ख0 नं0 294 रकबा 07 बिस्वा था जिसका साबिक बन्दोबस्त सम्वत् 2015 में साबिक ख0 नं0 246 रकबा 03 बिस्वा व 247 रकबा 04 बिस्वा वाके ग्राम राजपुरा जागीर तहसील थानागाजी जिला अलवर थे जो आराजी दावा हाजा

 29.6.18

में विवादित है । वादीगण एक ही परिवार के हैं जिनका सजरा प्रस्तुत किया गया । विवादित आराजी वादी के बुजुर्ग झूंथा, कजोड़ा, हरदेव पि0 रूपा बागड़ा ब्राह्मण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जिस पर वादी सं0 1 के पिता स्व0 हरदेवा व वादी सं0 2 व 3 के पिता स्व0 मंगल एवं दादा स्व0 हरदेव एवं वादी सं0 4 के पिता स्व0 सुन्दर एवं दादा स्व0 झूथा सम्वत् 1978 से पूर्व से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने की दिनांक 15.10.1955 यानि सम्वत् 2012 को व बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने की दिनांक 15.11.1959 यानि सम्वत् 2016 जब्ती बिस्वेदारी के समय भी काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे । जब तक वादीगण के उक्त बुजुर्ग जीवित रहे तब तक वे काबिज रहकर काश्त करते रहे तथा उनके जीवन काल से ही उनके जीवित रहते हुए वादीगण भी उनके साथ–साथ ही विवादित आराजी पर काबिज रहकर कार्य काश्त करते चले आ रहे हैं और उनके यानि बुजुर्गो के स्वर्गवास के बाद आज तक वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं । स्व0 कजोड़ का स्वर्गवास निसंतान हो गया है उसके और वारिस भी नहीं है । इसलिए उसके हिस्से पर भी उसके अन्य भाई झूथा व हरदेवा काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादीगण का कब्जा काश्त इस प्रकार है कि वादी सं0 1 का 1/4 हिस्सा एवं वादी सं0 2, 3 का 1/4 हिस्सा व वादी सं0 4 का 1/2 हिस्से और इसी हिस्सेनुसार वादीगण कार्य काश्त करते चले आ रहे हैं तथा आज भी विवादित आराजी पर हम वादीगण का उक्त हिस्सेनुसार कब्जा व काश्त है । वादीगण ने विवादित आराजी के चारो तरफ जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु लोहे का जाल 5 फुट उॅचा लगा रखा है । ताईद में जमाबन्दी सम्वत् 1978 एवं खसरा गिरदावरी सम्वत् 2011 से 2015 की पेश की है जिसमें वादीगण के बुजुर्गो का नाम अंकन खातेदार काबिज काश्तकार की हैसियत से चला आ रहा है । इसलिए वादीगण कानूनन खातेदार काश्तकार हो गये । तहसील थानागाजी का साबिक सैटलमेन्ट सम्वत् 2015 में घोषित हुआ था जिसमें वादीगण के बुजुर्ग झूथा कजोड़ा हरदेव का नाम खातेदारी का अंकन नहीं करके मौके व कब्जे व गत रेकार्ड के खिलाफ सैटलमेन्ट कर्मचारियों ने सिवायचक का अंकन कर दिया और उसके बाद बनी जमाबन्दियों में भी तहसील के कर्मचारियों द्वारा सिवायचक ही दर्ज किया जाता रहा है और उसके बाद हाल बन्दोबस्त सम्वत् 2060 में घोाषित हुआ उसमें भी सैटलमेन्ट के कर्मचारियों ने सिवायचक ही अंकित किया है जो अंकन उसके बाद हाल तक की जमाबन्दियों में चला आ रहा है जो उक्त सिवायचक का अंकन साबिक बन्दोबस्त सम्वत् 2015 से हाल तक के बन्दोबस्त सम्वत् 2060 एवं हाल तक की जमाबन्दियों में चला आ रहा है । वह इन्द्राज कतई गलत, खिलाफ मौका है तथा वादीगण के हकूकों के मुकाबले बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी है तथा उक्त गलत इन्द्राज कलमजन कर वादीगण राजस्व रेकार्ड में उक्त विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने योग्य है । विवादित आराजी को साबिक बन्दोबस्त व हाल बन्दोबस्त व समस्त राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज कर देने से वादीगण के हितों का हनन होता है । वादीगण ग्रामीण परिवेश के काश्तकार व्यक्ति हैं । वादीगण को धारा 91 एल.आर.एक्ट का नोटिस मिला जिस पर वादीगण ने रेकार्ड का अवलोकन कराया और वादीगण ने तहसीलदार से सम्पर्क कर अपना पक्ष रखा तो उन्होंने कहा कि यह आराजी रेकार्ड में सरकारी सिवायक की है आपको कब्ज़ा हटाना पड़ेगा । विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । यदि प्रतिवादीगण ने

 29.6.18

वादीगण को उनके कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी से बेदखल कर दिया तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी । इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया उसके बाद कोई उपस्थित नहीं आये । इसलिए उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर दि0 30.09.2016 को वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 30.09.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

पैरोकार सरकार अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/रेस्पो0 को विवादित आराजी का खातेदार गलत तौर पर घोाषित किया है । विवादित आराजी शुरू से ही सिवायचक रही है व सिवायचक है । उक्त विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्टान के पूर्वज हरदेवा, मंगल व झूंथा का कब्जा बतौर खातेदार के नहीं रहा और आज भी रेस्पो0 का कब्जा अतिक्रमण के रूप में है । तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि वादीगण के पूर्वज गैर मौरूसी दर्ज है मगर तहत न्यायालय ने गैर मौरूसी दर्ज का सही अर्थ ना समझकर दावा डिक्री करने में अहम त्रुटि की है । विवादित आराजी वादीगण के पूर्वजों की ना होकर सिवायचक है । विवादित आराजी पर पूर्व में वादीगण का कब्जा काश्त कभी नहीं रहा जबकि सिवायचक के रकबे पर वादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है । तहत न्यायालय ने प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा पेश जवाब दावे को भी गौर नहीं किया जबकि जवाब दावा में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि विवादित आराजी सिवायचक है । राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी सिवायचक दर्ज है और सिवायचक दर्ज ही शुरू से चली आ रही है तो स्वतः ही वादीगण व उनके बुजुर्गो का कब्जा अतिक्रमण के रूप में है ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि बन्दोबस्त विभाग ने मुताबिक साबिक राजस्व रेकार्ड किस्म भूमि सिवायचक एवं तत्समय मौका अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज सही किये हैं । वादी / रेस्पो0 ने उक्त आराजी पर जबरन अतिक्रमण कर रखा है जिसकी बाबत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर कानूनी प्रकिया अपनायी जाकर कार्यवाही की गई है । विवादित आराजी वादीगण के पूर्वजों की ना होकर गैर मुमकिन सिवायचक दर्ज आराजी है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 अभिभाषक ने जवाब बहस में कथन किया कि अपीलांट ने तहत न्यायालय में 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट के तहत दावा पेश किया । दावे के पैरा सं0 2 में सजरा प्रस्तुत किया गया है । अपीलांट का कहना है कि विवादित आराजी अपीलांट के बुजुर्गो की थी । सम्वत् 1978 के पूर्व से ही काबिज चले आ रहे हैं । सम्वत् 2012 व 1959 में बिस्वेदारी उन्मूलन के समय वादीगण के बुजुर्गो की कब्जा काश्त थी तथा आज भी है । विवादित

आराजी के चारों तरफ जंगली जानवरों से रक्षा हेतु जाल लगाया हुआ है । सम्वत् 1978 की जमाबन्दी व गिरदावरी सम्वत् 2011–15 प्रस्तुत की है । सम्वत् 2015 में पहले बन्दोबस्त घोषित हुआ उस बन्दोबस्त में वादीगण के बुजुर्गान झूंथा वगेरा का अंकन नहीं है और सिवायचक कर दिया तथा आदिनांक तक सिवायचक है । इस इन्द्राज की जानकारी होते ही इसे चैलेन्ज किया । तहत न्यायालय ने दि0 31.12.2015 को 91 एल.आर.एक्ट का नोटिस दिया गया तब जानकारी हुई सम्वत् 1978 व 1991 की जमाबन्दी संलग्न है जिसमें झूथा वगैरा दर्ज है । सम्वत् 2011–15 की गिरदावरी पेश की जिसमें ख0 नं0 246 व 247 में काश्त झूंथा, कजोड़, हरदेवा, रूपा गैर मौरूसी लिखा है । सम्वत् 1955 में काश्त में थे । दिनांक 15.10.1955 के आधार पर टिनेन्सी एक्ट के प्रजम्पशन लागू होता है तथा दि0 15.11.1959 के आधार पर भी क्लेम कर रहा हूं ।

बहस में आगे कहा कि अपीलांट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है । तहत न्यायालय में तहसीलदार सरकार की मौजूदगी में निर्णय सुनाया है तो इतना डिले क्यों ? डिले कन्डोन का कोई उचित कारण भी नहीं बताया है । इसलिए मियाद बाहर अपील खारिज की जावें । तहत न्यायालय ने सही निर्णय व डिक्री पारित की है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने कथन की ताईद में आर.आर.टी. 2002 पेज 33, आर.आर.टी. 2001 पेज 77, आर.आर.डी. 1999 पेज 152, आर.आर.टी. 2007 पेज 939, आर.आर.डी. 2015 पेज 168, आर.आर.टी. 2015 पेज 1089, आर.आर.टी. 2006 पेज 1092, आर.आर.टी. 2009 पेज 488, आर.आर.डी. 1969 पेज 231, आर.आर.डी. 1993 पेज 44, आर.आर.टी. 2015 पेज 1214, आर.आर.डी. 1983 पेज 712 एवं आर.आर.डी. 1978 पेज 27 पेश की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2016 का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

सर्वप्रथम अपीलांट की ओर से मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया । तहत अदालत का निर्णय दिनांक 30.9.2016 को पारित किया है और दि0 17.7.2017 को अपील पेश की गई है । अपील के साथ मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में देरीना के कारण अंकित किये हैं । वक्त निर्णय पैरोकार सरकार की बहस नहीं सुनी गयी तथा नकल निर्णय के प्राप्ति उपरान्त तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनांक 24.11.2016 को जिला कलक्टर अलवर को मार्गदर्शन हेतु निर्णय भिजवा दिया गया था । जिला कलक्टर अलवर के पत्रांक 5065 दिनांक 26.12.2016 के आधार पर पुनः तहसीलदार थानागाजी ने अपने पत्रांक 1025 दिनांक 10.5.2017 से तथ्यात्मक रिपोर्ट जिला कलक्टर अलवर को प्रेषित की है । जिला कलक्टर ने अपने पत्रांक 2556 दिनांक 6.6.2017 से अपील पेश करने के निर्देश दिये हैं । इस प्रकार अपीलांट द्वारा अपील में डिले कन्डोन करने के अनुतोष को स्वीकार किया जाता है । इस संबंध में डिले कन्डोन नहीं करने के रेस्पो0 अभिभाषक की कानूनी नजीरों का भी अवलोकन किया गया, परन्तु अपीलांट के डिले के कारण स्वीकार योग्य हैं ।

जहां तक अपीलांट की अपील के आधार पर तहत न्यायालय के निर्णय का गुणावगुण पर अवलोकन का प्रश्न है । तहत न्यायालय द्वारा वाद वादी इस आधार पर डिक्री

किया है कि साबिक आराज़ी ख0 नं0 246 रकबा 03 बिस्वा, 247 रक़बा 04 बिस्वा पर वादीगण का सम्वत् 1981 की जमाबन्दी के अनुसार तथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2011–14 के अनुसार कब्जा काश्त सिद्ध है तथा रेकार्ड में गैर मौरूसी के रूप में दर्ज रेकार्ड है । सम्वत् 2015 में बन्दोबस्त ने विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 246 व 247 को सिवायचक दर्ज कर दिया है । खसरा गिरदावरी में दर्ज गैर मौरूसी के रेकार्ड के आधार पर वाद वादी डिक्री किया है ।

हमने पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया । तहत अदालत ने विवादित आराजी को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के 1955 में लागू होने के आधार पर तथा जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के लागू होने के प्रावधानों के आधार पर खातेदारी प्रदान की है । उपरोक्त दोनों ही प्रकार से रेकार्ड का अवलोकन किया गया । सम्वत् 1981 की जमाबन्दी के अनुसार विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 246 व 247 जागीरदारी बिस्वेदारी की आराजी है, बिस्वेदार रामसिंह तथा इसके काश्तकार खाने में झूंथा, कजोड़ व हरदेवा पि0 रूपा बहिसा बराबर सा0देह गैर मौरूसी दर्ज रेकार्ड है । इसके बाद की कोई जमाबन्दी पेश नहीं है । केवल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2011–14 की पेश की गई है जिसके अनुसार साबिक ख0 नं0 246/2.06 बीघा में से 1.03 बीघा उपकृषक कालम में झूंथा, कजोड़, हरदेवा पि. रूपा सा0देह गैर मौरूसी दर्ज रेकार्ड है जिसमें काश्त चरी दर्ज है तथा साबिक ख0 नं0 247/0.10 बिस्वा में से 0.05 बिस्वा अंकन है परन्तु बंजड़ कदीम के रूप में दर्ज रेकार्ड है । मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2015 के अनुसार साबिक ख0 नं0 246 रकबा 0.03 बिस्वा व 247 रकबा 0.04 बिस्वा से ख0 नं0 294 रकबा 0.07 बिस्वा कायम किये हैं । सम्वत् 2015 में बन्दोबस्त ने उक्त आराजी को ख0 नं0 294 रकबा 7 बिस्वा के रूप में सिवायचक लगानी किस्म बंजड़ डोल दर्ज की है । इसके बाद आदिनांक तक यह सिवायचक दर्ज रेकार्ड है ।

इस संबंध में न्यायालय का कानूनीं मत है कि वादीगण इस आराजी पर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । जहां तक जमींदारी बिस्वेंदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के तहत खातेदारी प्राप्त करने का प्रश्न है तो यहां भी न्यायालय के कानूनी मत में वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि यह एक्ट 1959 में 15.11.1959 में प्रभाव में आया था तथा सन् 1959 के रेकार्ड के आधार पर ही खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं । सम्वत् 2015 में यह आराजी जो जमीदारी बिस्वेदारी की आराजी थी और जिसमें किस्म ख0 नं0 247 की बंजड़ कदीम थी जो काबिल काश्त नहीं थी, उन्हें सिवायचक दर्ज कर दिया । अधिनियम के लागू होने के समय गैर मौरूसी के रूप में दर्ज वादीगण के पिता व अन्य को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं । सम्वत् 2011–14 की केवल गिरदावरी ही पेश की है तथा कोई जमाबन्दी की नकल भी नहीं है । अतः इस आधार पर यह भी नहीं कहा जा सकता है कि वादीगण का किसी प्रकार की खातेदारी को समाप्त करके बन्दोबस्त ने सिवायचक दर्ज रेकार्ड की हो । अतः तहत न्यायालय ने बिना रेकार्ड के तथा कानून के विपरीत वादीगण को खातेदारी अधिकार की डिक्री प्रदान की है जो काबिल निरस्ती के है और अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है ।

28.6.18

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2016 निरस्त की जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29.6.18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर